

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
मांग संख्या 90  
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	4870.52	1.99	4872.51	5375.20	9.80	5385.00	4246.06	5.80	4251.86	5202.12	22.15	5224.27
<i>वसूलियां</i>	-0.88	...	-0.88	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	4869.64	1.99	4871.63	5375.20	9.80	5385.00	4246.06	5.80	4251.86	5202.12	22.15	5224.27
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	11.95	...	11.95	14.00	3.50	17.50	12.00	3.50	15.50	17.00	20.00	37.00
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>												
2. औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास	6.54	0.30	6.84	26.60	4.00	30.60	12.50	...	12.50	19.35	1.65	21.00
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	6.54	0.30	6.84	26.60	4.00	30.60	12.50	...	12.50	19.35	1.65	21.00
3. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान स्कीमों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों को सहायता	17.55	1.65	19.20	17.60	1.80	19.40	7.58	1.80	9.38	14.00	...	14.00
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>	<b>24.09</b>	<b>1.95</b>	<b>26.04</b>	<b>44.20</b>	<b>5.80</b>	<b>50.00</b>	<b>20.08</b>	<b>1.80</b>	<b>21.88</b>	<b>33.35</b>	<b>1.65</b>	<b>35.00</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
4. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)												
4.01 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं	4531.58	...	4531.58	4912.00	...	4912.00	3808.40	...	3808.40	4669.27	...	4669.27
4.02 क्षमता निर्माण तथा मानव संसाधन विकास	300.00	...	300.00	400.00	...	400.00	400.00	...	400.00	475.00	...	475.00
<i>जोड़- वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)</i>	<i>4831.58</i>	<i>...</i>	<i>4831.58</i>	<i>5312.00</i>	<i>...</i>	<i>5312.00</i>	<i>4208.40</i>	<i>...</i>	<i>4208.40</i>	<i>5144.27</i>	<i>...</i>	<i>5144.27</i>
5. परामर्श विकास केंद्र	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>4831.58</b>	<b>...</b>	<b>4831.58</b>	<b>5312.00</b>	<b>...</b>	<b>5312.00</b>	<b>4208.40</b>	<b>...</b>	<b>4208.40</b>	<b>5144.27</b>	<b>...</b>	<b>5144.27</b>
<b>अन्य</b>												
6. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एशियन तथा प्रशांत केंद्र (एपीसीटीटी) को योगदान	2.90	0.04	2.94	5.00	0.50	5.50	5.58	0.50	6.08	7.50	0.50	8.00
7. वास्तविक वसूलियां	-0.88	...	-0.88	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>2.02</b>	<b>0.04</b>	<b>2.06</b>	<b>5.00</b>	<b>0.50</b>	<b>5.50</b>	<b>5.58</b>	<b>0.50</b>	<b>6.08</b>	<b>7.50</b>	<b>0.50</b>	<b>8.00</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>	<b>4833.60</b>	<b>0.04</b>	<b>4833.64</b>	<b>5317.00</b>	<b>0.50</b>	<b>5317.50</b>	<b>4213.98</b>	<b>0.50</b>	<b>4214.48</b>	<b>5151.77</b>	<b>0.50</b>	<b>5152.27</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>4869.64</b>	<b>1.99</b>	<b>4871.63</b>	<b>5375.20</b>	<b>9.80</b>	<b>5385.00</b>	<b>4246.06</b>	<b>5.80</b>	<b>4251.86</b>	<b>5202.12</b>	<b>22.15</b>	<b>5224.27</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	3.50	3.50	...	3.50	3.50	...	20.00	20.00
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	...	...	...	...	<b>3.50</b>	<b>3.50</b>	...	<b>3.50</b>	<b>3.50</b>	...	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
2. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	4857.69	...	4857.69	5361.20	...	5361.20	4234.06	...	4234.06	5185.12	...	5185.12
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	11.95	...	11.95	14.00	...	14.00	12.00	...	12.00	17.00	...	17.00
4. दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	1.65	1.65	...	1.80	1.80	...	1.80	1.80	...	...	...
5. अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	...	0.04	0.04	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50
6. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ऋण	...	0.30	0.30	...	4.00	4.00	...	...	...	...	1.65	1.65
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>4869.64</b>	<b>1.99</b>	<b>4871.63</b>	<b>5375.20</b>	<b>6.30</b>	<b>5381.50</b>	<b>4246.06</b>	<b>2.30</b>	<b>4248.36</b>	<b>5202.12</b>	<b>2.15</b>	<b>5204.27</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>4869.64</b>	<b>1.99</b>	<b>4871.63</b>	<b>5375.20</b>	<b>9.80</b>	<b>5385.00</b>	<b>4246.06</b>	<b>5.80</b>	<b>4251.86</b>	<b>5202.12</b>	<b>22.15</b>	<b>5224.27</b>

(₹ करोड़)

	बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>									
1. सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	1.65	...	1.65	1.80	...	1.80	1.80	...	1.80
<b>जोड़</b>	<b>1.65</b>	<b>...</b>	<b>1.65</b>	<b>1.80</b>	<b>...</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>	<b>...</b>	<b>1.80</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान केन्द्र के स्थापना व्यय के अंतर्गत सचिवालय के व्यय के लिए है।

2. **औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास:** इसमें विभाग के कार्यक्रमों अर्थात् व्यष्टियों, स्टार्टअप और एमएसएमई में नवप्रवर्तनों को प्रोत्साहन (प्रिज्म), पेटेंट अर्जन और सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास (पेस), औद्योगिक अनुसंधान और विकास एवं सामान्य अनुसंधान सुविधाओं का निर्माण (बर्ड) तथा प्रौद्योगिकी विकास और प्रसार के लिए ज्ञान तक पहुंच से संबंधित योजना (ए2के प्लस) के लिए प्रावधान सम्मिलित हैं।

3. **अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान स्कीमों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों को सहायता:** इसमें सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि0 (सीईएल) और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) के लिए राजस्व आवंटन के लिए प्रावधान सम्मिलित हैं।

4.01. **राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं:** इसमें सीएसआईआर स्कीम की राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, प्रशासन, सीएसआईआर 800 स्कीमें, एकीकृत, भागीदारीकृत तथा सहयोगात्मक अनुसंधान तथा विकास के लिए सीएसआईआर शुरूआत, बौद्धिक सम्पदा तथा प्रौद्योगिकी प्रबन्धन, नई सहस्राब्दी भारतीय अग्रणी पहल, राष्ट्रीय नागरिक वायुयान विकास, के मुक्त नवप्रवर्तन के लिए सीएसआईआर स्कीम प्रावधान सम्मिलित हैं।

- 4.02. **क्षमता निर्माण तथा मानव संसाधन विकास:** इसमें सीएसआईआर स्कीमों: अनुसंधान स्कीमें, छात्रवृत्तियां तथा अह्येतावृत्ति और वैज्ञानिक पूल के लिए प्रावधान सम्मिलित हैं।
5. **परामर्श विकास केंद्र:** इसमें परामर्श विकास केन्द्र (सीडीसी), नई दिल्ली – एक स्वायत्त निकाय को सहायता प्रदान करने के अंतर्गत राजस्व आवंटन के लिए प्रावधान सम्मिलित हैं।
6. **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एशियन तथा प्रशांत केंद्र (एपीसीटीटी) को योगदान:** इसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एशिया तथा प्रशांत केन्द्र (एपीसीटीटी) के लिए अंशदान सम्मिलित हैं।